



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बजट पर बहस एवं चर्चा का जवाब पेश किया।

## ‘देश में चार जातियां, युवा, महिला, किसान, और गरीब, हमारा बजट इन चारों के लिए है’

### मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बजट को लेकर सदन में काफी कुछ कहा गया। यह बजट चहुँमुखी विकास करने वाला है। इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि विपक्ष के कुछ विधायकों ने भी खुले मन से तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि देश में चार जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। यह बजट इन चारों को आगे ले जाने वाला है।

मुख्यमंत्री शर्मा कहा कि राजस्थान की नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। कांग्रेस के लोग योजनाओं के नाम बदलने की चर्चा कर रहे थे। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। अरे भाई, एक परिवार के नाम कितनी योजनाओं के नाम करोगे? मां अन्नपूर्णा के नाम से क्या दिक्कत थी। कांग्रेस में एक ही परिवार की भक्ति की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड़ा पर भी नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने अभी नेहरूजी का जिक्र किया, उन्होंने आगे भी सबके नाम लिए। वो नाम नहीं लिए होते तो दामादजी का नाम कैसे आता। दामादजी का राजस्थान से क्या रिश्ता है, सब जानते हैं।

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया और बोले, वो कहते थे मांगते-मांगते थक जाओगे पर मैं देते-देते नहीं थकूंगा, पर सिर्फ थोथी घोषणाएं कीं, एक भी घोषणा फलीभूत नहीं हुई।

पेपर लीक पर मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कांग्रेस व डोटोसरा को घेरा और बोले, पेपरलीक इतने हुए, कितने करुं बयान, पास हुए “परिवारजन क्या-क्या करू बयान।”

उन्होंने ई.आर.सी.पी. पर कांग्रेस की आलोचना की व कहा, ई.आर.सी.पी. हमारी सरकार लाई है। एम.ओ.यू. हमने किया, आपने क्या किया बता दीजिए।

मुख्यमंत्री ने कहा- इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शिनी था, महिलाओं की योजना का नाम कहां से दूढ़कर लाए। एक परिवार के प्रति ऐसा समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन आपातकाल के काले दिनों को भी याद कर लीजिए इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह संविधान की हत्या की गई थी।

संविधान हत्या दिवस का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और कुछ देर के लिए सदन में शोर-

लुटवाया अपना राज बचाने को।अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली।

पेपर लीक पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि अभी छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। वे बिल्कुल चिंता न करें, छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं बृज भूमि से आता हूँ, मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंसोवाले में अटूट आस्था है। आपको पता है, इनका जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, परंतु उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। सुदर्शन चक्र वाला जब आएगा तो बड़े-बड़े मगरमच्छों का भी इलाज होगा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा- श्रवण कुमार 44 साल से सदन में आ रहे हैं। मैं सीनियर हूँ, दर्द जाहिर कर रहे थे। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। चवालिस सालों में एक भी कांग्रेस नेता ने पानी के लिए लेटर लिखा हो तो बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. लाई तो हमारी सरकार लाई। हमारी वसुंधरा राजे सरकार के समय बना। आपने ई.आर.सी.पी. के लिए क्या किया, यह बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. हमने किया। कांग्रेस ने एम.ओ.यू. किया हो तो सदन में रख दीजिए। कांग्रेस वाले हमेशा भ्रम फैलाते हैं।

शरबा हआ। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं कीं, कहते थे कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। पशुधन स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया। राजसमंद-जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, वहां बने क्या? डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की थी, कितने बने?

मुख्यमंत्री ने कविता कहकर कांग्रेस और डोटोसरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “पेपर लीक इतने हुए, कितने करुं बखान, पास हुए परिवारजन, क्या-क्या करुं बयान। खुब करी मेहमान नवाजी अपनी सरकार बचाने को, जनता का पैसा

## देवयानी से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों की सांभर थाना पुलिस ने पिटाई की

सांभरझील, 29 जुलाई (नि.सं.)। ग्राम सांभरदा से देवयानी तीर्थ स्थल का पवित्र जल लेकर डीजे की धुन पर नाचते-गाते लौट रहे कांवड़ियों को थाना अधिकारी के निर्देश पर सांभर थाने के पुलिसकर्मियों ने पहले उनका डीजे बंद करवाया व डीजे संचालक के साथ मारपीट की और म्यूजिक सिस्टम जब्त कर कांवड़ियों को थाने ले गईं। बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में कांस्टेबल खेमचंद इतना अधिक गुस्से में भर गया कि थाना परिसर में ही उसने एक कांवड़िया को पकड़कर चांटे मारना शुरू कर दिया। बचाव में जब अन्य कांवड़ियों ने विरोध किया तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कांस्टेबल खेमचंद को थाना परिसर में अंदर ले गए।

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सनातन प्रेमियों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस की इस बर्बरता को लेकर सांभर थाना परिसर में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, देवयानी विकास समिति सहित जनप्रतिनिधियों के अलावा, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे थाने पहुंच गई और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी और थानाधिकारी को सस्पेंड किया जाए। सुबह से दोपहर तक कई बार वार्ताओं का दौर चला। मामला शांत होते नहीं देख पुलिस ने नजाकत को समझते हुए एस.पी. को भी सूचना दी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी से भी अवगत कराया। पिटाई का वीडियो एडिशनल एस.पी. और जयपुर ग्रामीण एस.पी. तक भी पहुंचा तो उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का संदेश भिजवाया।

धरना स्थल पर मौजूद सभी का



कांवड़ियों के साथ पुलिस मारपीट के विरोध में सोमवार को हिन्दू संगठनों ने सांभर थाने के आगे जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया।

डीजे की धुन पर नाचते गाते लौट रहे कांवड़ियों को पुलिस ने रोका।

विभिन्न हिंदू संगठनों ने सांभर थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।

मामले में एस.पी. ग्रामीण ने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।

कहना था कि जब तक कांस्टेबल को सस्पेंड करने का ऑर्डर उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, वे यहां से हिलने वाले

नहीं है। दोपहर में ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शांतनु कुमार ने कांस्टेबल खेमचंद को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए और संस्येन को कांपी घरना स्थल पर मौजूद जनप्रतिनिधियों को भी वॉस्टपपर पर उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद लोगों ने थानाधिकारी को भी सस्पेंड करने का मुद्दा उठा लिया और यह मामला करीब शाम 5:00 बजे तक चलता रहा।

इसके बाद एडिशनल एस.पी. मोंके पर पहुंचे और बात की तथा थानाधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस मामले में पिटाई का शिकार हुए कांवड़िया ने लिखित में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है।

इस मामले में विधायक विद्याधर

चौधरी ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल रात सांभर में कांवड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की घटना हुई है। उसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ।

पूर्व विधायक निर्मल कुमावत का कहना है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है तथा पुलिसकर्मी को निर्लंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

एडिशनल एस.पी. ब्रजमोहन मीणा का कहना है कि शिकायत पर चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है तथा अनुसंधान के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक सारिका खंडेलवाल का कहना है कि मामले की जांच कर सभी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

## ‘हालांकि, भाजपा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें ए-1 तथा ए-2 कहा करेगा। राहुल ने कहा कि इस चक्रव्यूह के खिलाफ शिवजी की बारत है, जिसमें सबका स्वागत है तथा शिवजी को यह बारत (अर्थात इंडिया गठबंधन) इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा।

इन दिनों, जब राहुल बोलते हैं तो वे रुकते तो है ही नहीं, जब वे विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को टक्कर देते हैं, उस समय वे काफी मजेदार बातें भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट ने मध्यम वर्ग के सीने तथा पीठ में छुरा भोंका है। उन्होंने कहा कि शिव मध्यम वर्ग

मोदी सरकार की प्रशंसा के गीत गाते थकता नहीं है।

राहुल ने संसद की कार्यवाही की कठोरता करने वाले मीडिया का भी पक्ष लिया, यद्यपि, उनके अनुसार, इनमें से अधिकांश राहुल गांधी को ज्यादा जगह कभी नहीं देते, बल्कि ज्यादातर तो उनकी उपेक्षा ही करते हैं।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें “कांच पिंजरे” से मुक्त कर दें। संसद की सिक्वॉरिटी द्वारा मीडिया के संरक्षित गार्डों को भी मीडिया के लिये बनाये गये ग्लास कन्टेनर में ही रहें तथा नयी भवन के प्रवेश द्वार पर सांसदों और

मन्त्रियों को बाइस्टस भी न लें, जिससे सांसद परेशान न हों।

जब राहुल ने लोकसभा के पीटल पर यह मुद्दा उठाया, तो मीडिया ने सांसदों आदि का बहिष्कार कर दिया तथा इस मुद्दे ने एक बड़ा रूप ले लिया।

4 जून से पहले वाले समय को बड़े पैमाने पर अलविदा कहते हुये, अब मुख्य धारा वाले चैनलों ने राहुल को दिखाना शुरू कर दिया है तथा उनके भाषण सोशल मीडिया पर हर समय दिखाई और सुनाई दे रहे हैं।

आगामी दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होंगे।

### बारामूला में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोपोर कस्बे के शेर कालोनी में एक कबाड़ विक्रेता की दुकान के अंदर हुआ घटना के चक्कर कुछ लोग टुक से कबाड़ उतार रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि धमाके इतना जोरदार था कि दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की शिनाख्त नजीर अहमद नादरू (40), आजिम अशरफ मीर (20), आदिल राशिद भट (23) और मोहम्मद अजहर (25) के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य घायल भी हुआ है। वहीं, विस्फोट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इस वर्ष में ही राज्य के 45,485 करोड़ रूपए दिये हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में कहा कि विपक्ष-शासित राज्यों में जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तीर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

### ‘ऑफ इयूटी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और वह किसी क्षतिपूर्ति राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार सक्सेना व दीपक चाचान ने यह आदेश श्याम सुन्दर रूपडला के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिया।

प्रार्थना पत्र में जे.वी.वी.एन.एल. व के-3 कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए कहा कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन काम करता है। इस दौरान वह बिजली लाइन का काम कर रहा था तो इयूटी कर्मचारी मुकेश ने लापरवाही से बिजली लाइन को चूल्हा कर दिया, जिससे वह कंटैस से झुलस गया और उसका बांया हाथ कंधे से काटना पड़ा। इस कारण आई निराकता से वह बेरोजगार हो गया है। इसलिए उसे जे.वी.वी.एन.एल. सहित अन्य पक्षकारों से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। जवाब में जे.वी.वी.एन.एल. ने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ, तब परिवारी की इयूटी नहीं थी और उसने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। ऐसे में विभाग किसी तरह की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसने बिना शट डाउन लिए काम किया है, जो गलत है। अदालत ने विभाग व अन्य पक्षकारों की दलीलों से सहमत होकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

## गुरुद्वारों पर अब भगवा झण्डा नहीं लहराया जायेगा

### सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने यह फैसला जारी किया

नई दिल्ली, 29 जुलाई। खालसा पंथ की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा। सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आदेश जारी किए हैं कि अब से इसका रंग बसंती होगा। यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त साहिब में हुई पांच दिन के बैठक के बाद लिया है। इसकीपीसी की ओर से एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि केसरी निशान साहिब को लेकर संगत के बीच दुविधा थी। कुछ मामले अकाल तख्त साहिब के ध्यान में आए जिसके बाद इस पर चर्चा हुई। पांच दिन साहिबानों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निशान साहिब का रंग बेशक भगवा है, लेकिन गलती से यह हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा रंग से मिला-जुलता है। इस कारण कई बार संगत के लोग या अजनबी लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है, इस कारण

### अब पवित्र निशान साहिब पर फहराया जाने वाला झण्डा बसंती रंग का होगा।

कभी-कभी कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि हिंदू और सिख एक ही धर्म हैं। इस तरह के भ्रम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह प्रेवाल ने कहा कि उनका फैसला किसी धर्म या भगवा रंग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को किसी धर्म से जोड़कर विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला कोई नया नहीं है। अनुपालन परियोजना बिना किसी तय मानक के जारी किया गया है।

निशान साहिब सिखों के लिए पवित्र ध्वज होता है। यह हर गुरुद्वारे के बाहर फहराता रहता है। इसे वो अपनी धार्मिक रीतियों या धार्मिक-राजनीतिक रीतियों में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने वाहनों में सबसे ऊपर लगाकर भी चलते हैं। ये पवित्र त्रिकोणीय ध्वज कानून या रेशम के कपड़े का बना होता। इसके

आलोचना की कि वह युवाओं को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चिन्ता की उपेक्षा कर रही है, विशेष रूप से बजट में पेपर लीक के मुद्दे पर।

उन्होंने उल्लेख किया कि “पेपर लीक” युवाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है परंतु वित्त मंत्री ने अपने बजट में इसका उल्लेख नहीं किया।

गांधी ने केन्द्रीय बजट 2024 को “मध्यम वर्ग के लोगों की पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया” और जोर देकर कहा कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य “बड़े व्यवसायियों को मजबूत करना है।”

आगे यह भी कहा कि “इस बजट में टैक्स आतंक के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी मार छोटे कारोबारियों पर बहुत पड़ी है। इसका एकमात्र उद्देश्य बड़े कारोबारियों के एकाधिकार

सिरे पर एक रेशम की लटकन होती है। इसे हर गुरुद्वारे के बाहर एक ऊंचे ध्वजडंड पर फहराया जाता है। सिख परंपरा के अनुसार निशान साहिब को फहरा रहे डंड में ध्वजकलाश (ध्वजडंड का शिखर) के रूप में एक दोधारी खंडा (तलवार) होता है और डंडे को पूरी तरह कपड़े से लपेटा जाता है। झंडे के बीच में एक खंडा चिह्न होता है।

### ‘निर्देशों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षा की प्रक्रिया में शिथिलता नहीं दिला सकता। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पायल व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने आर.जे.एस. भती परीक्षा में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने ओ.एम.आर. शीट में उत्तर देते समय गोलों को सही तरीके से नहीं भरा है।

### कर चोरी के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि आरोपी गौतम गर्ग ने करीब 7.48 करोड़ रूपए की कर चोरी की थी। जे।एसटी।एक्ट की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों में आरोपी ने माना कि उसने अपने अंकल से मिलकर फर्जी फर्मों को सन्तार्ड दिखाकर कर चोरी की है। इसके अलावा, विभाग को उसके घर से चार लाख रूपए की नकदी भी मिली थी। इसके अलावा, उसके मोबाइल में सोशल मीडिया के बने ग्रुप में भी कर चोरी की बातें सामने आई हैं। इसके बावजूद भी निचली अदालत ने माना कि आरोपी ने सामान्य परिस्थितियों में बयान दर्ज नहीं कराए थे। वहीं, इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वह संबंधित कंपनियों का मैनेजर है तथा अन्य साक्ष्य भी ऐसे नहीं है कि उसे जेल में रखा जाए। इसके साथ ही, निचली अदालत ने गत 3 नवंबर को उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए। केन्द्र सरकार की याचिका में मांग की गई थी कि उसे मिली जमानत को रद्द कर आरोपी को पुरः जेल भेजा जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को मिली जमानत रद्द कर उसे निचली अदालत में सेंडर करने के आदेश दिए हैं।

## कर्नाटक सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रही है। “इसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली चले गये।

वित्त मंत्री की आलोचना करते हुये, उन्होंने कहा कि केन्द्र की नीतियाँ उद्योगों को राज्य से बाहर खदेड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण, देश में एक.डी.आई. 31 प्रतिशत कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्वावलंबी कर्नाटक और महागौरव जैसे टैक्स की ज्यादा आय देने वाले राज्यों को आखिर बजट में क्या मिला। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, का कई विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तीर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत देते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कनाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुये, वित्त मंत्री ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों के दौरान, टैक्स के हस्तान्तरण के रूप में कर्नाटक को प्रतिवर्ष 8,179 करोड़ रूपए मिला करते थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इस वर्ष में ही राज्य के 45,485 करोड़ रूपए दिये हैं।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में कहा कि विपक्ष-शासित राज्यों में जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तीर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

## झारखंड के मुख्यमंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.टी. पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का भी उल्लेख किया।

किन्तु उच्च न्यायालय ने कहा था, “यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता के आचरण को बहुत भारने की कोशिश की है, और इसका कारण रहा याचिकाकर्ता द्वारा ई.डी. के अफसरों के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. लेकिन इस केस का पूरा अवलोकन करने पर, ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि याचिकाकर्ता द्वारा उसी किस्म का अपराध कर रहा है।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा रिपोर्ट किये गये निष्कर्षों का परिणाम “प्रिवेन्शन ऑफ मनीलॉन्डरिंग” पर केंद्र, 2002 के धारा की शर्त को सन्तुष्ट करता है तथा यह कहता प्रतीत होता है कि ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि याचिकाकर्ता

उस अपराध का दोषी नहीं है, जिसका आरोप उस पर लगाया गया है।”

ई.डी. ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके, राज्य की राजधानी के बारागेन क्षेत्र 8.86 एकड़ जमीन “गैर कानूनी रूप से” ले ली।

एजेंसी ने दावा किया था कि जाँच के दौरान, सोरेन ने मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने यह स्वीकार किया था कि एच.एम.ए. नेता ने उन्हें निर्देश दिये थे कि सम्बन्धित भूखंड के स्वामित्व-विवरण को बदलने के लिये सरकारी रिकॉर्ड्स में हेर-फेर कर दिया जाये।

ई.डी. ने यह भी कहा कि जब जमीन के मूल स्वामी, राजकुमार पाहन ने उस समय शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, जब उसकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई।